भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 2254
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उच्चायोगों और दूतावासों में कर्मचारी

2254. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत में स्थित उच्चायागों और दूतावासों की देश-वार संख्या कितनी हैं;

(ख) इन सभी उच्चायोगों और दूतावासों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और भारतीय तथा विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को किसी भी देश के उच्चायोग या दूतावास में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को कम करने अथवा सीमित करने का अधिकार है, यदि हाँ, तो इस संबंध में उपलब्ध विधिक अथवा कूटनीतिक प्रावधान क्या हैं तथा स्वतंत्रता के बाद ऐसे प्रावधान कब बनाए गए; और

(घ) क्या मई 2025 में पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या घटाई गई थी, यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए गए कदम सहित घटाए गए कर्मचारियों की संख्या तथा वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री पबित्र मार्गेरिटा]

(क): कृपया वर्तमान में भारत में स्थित उच्चायोग और दूतावासों की देश-वार संख्या के संबंध में नीचे दी गई तालिका का संदर्भ लें:

क्रम सं.	विवरण	कुल (संख्या में)	टिप्पणियाँ
1	भारत में विदेशों के निवासी मिशन	163	देशों की सूची अनुबंध-1 में संलग्न है।
2	भारत में विदेशों के अनिवासी मिशन	12	देशों की सूची अनुबंध-2 में संलग्न है।
कुल		175	

(ख): कृपया भारत में स्थित उच्चायोगों और दूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के संबंध में नीचे दी गई तालिका का संदर्भ लें:

राजनयिक/अधिकारी (विदेशी नागरिक)	स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारी
2512	2821

(ग): जी हाँ, सरकार किसी भी देश के उच्चायोग या दूतावास में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को कम या सीमित कर सकती है। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के अनुच्छेद 11 के अनुसार;
“मिशन के आकार के विषय में विशिष्ट करार के अभाव में, प्राप्तकर्ता राष्ट्र यह अपेक्षा कर सकता है कि मिशन का आकार उन सीमाओं के भीतर रखा जाए जिन्हें वह प्राप्तकर्ता राष्ट्र की परिस्थितियों और स्थितियों तथा मिशन विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित और सामान्य समझता है।
प्राप्तकर्ता राष्ट्र भी समान रूप से, समान सीमाओं के भीतर और बिना किसी भेदभाव के आधार पर, किसी विशेष श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।”

(घ): पहलगाम आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए, 23 अप्रैल 2025 को हुई सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) के निर्णय के अनुसार, 1 मई 2025 से भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों की समग्र कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया था। इसके बाद, नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के तीन राजनयिकों और अधिकारियों को परसोना नॉन-ग्राटा (अस्वीकार्य व्यक्ति) घोषित कर दिया गया था और भारत से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उनकी गतिविधियां भारत में उनकी राजनयिक/आधिकारिक स्थिति के अनुरूप नहीं थीं। पाकिस्तान उच्चायोग में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या 27 है।

अनुबंध 1

भारत में विदेशों के निवासी मिशनों की देश-वार सूची

क्र.सं.	देश
1.	अफ़ग़ानिस्तान
2.	अलजीरिया
3.	अंगोला
4.	अर्जेंटीना
5.	आर्मीनिया
6.	ऑस्ट्रेलिया
7.	ऑस्ट्रिया
8.	अज़रबैजान
9.	बहरीन
10.	बांग्लादेश
11.	बेलारूस
12.	बेल्जियम
13.	बेनिन
14.	भूटान
15.	बोलीविया
16.	बोस्निया और हर्जेगोविना
17.	बोत्सवाना
18.	ब्राज़ील
19.	ब्रूनेई दार-एस-सलाम
20.	बुल्गारिया
21.	बुर्किना फासो
22.	बुरुंडी
23.	कंबोडिया
24.	कैमरून
25.	कनाडा
26.	चिली
27.	चीन
28.	चैड
29.	कोलंबिया
30.	कांगो-लोकतांत्रिक गणराज्य

31.	कांगो गणराज्य
32.	कोस्टा रिका
33.	कोटे डी’ आइवर
34.	क्रोएशिया
35.	क्यूबा
36.	साइप्रस
37.	चेक गणराज्य
38.	डेनमार्क
39.	ज़िबूती
40.	डोमिनिकन गणराज्य
41.	इक्वेडोर
42.	मिस्र
43.	अल साल्वाडोर
44.	इक्वेटोरियल गिनी
45.	इरिट्रिया
46.	एस्टोनिया
47.	इथियोपिया
48.	फिजी
49.	फिनलैंड
50.	फ्रांस
51.	गैबॉन
52.	गाम्बिया
53.	जॉर्जिया
54.	जर्मनी
55.	घाना
56.	ग्रीस
57.	ग्वाटेमाला
58.	गिनी (का गणराज्य)
59.	गुयाना
60.	होली सी
61.	होंडुरास
62.	हंगरी
63.	आइसलैंड
64.	इंडोनेशिया
65.	ईरान
66.	इराक

67.	आयरलैंड
68.	इज़राइल
69.	इटली
70.	जमैका
71.	जापान
72.	जॉर्डन
73.	कजाखस्तान
74.	केन्या
75.	कोरिया – डीपीआर
76.	कोरिया – आरओ
77.	कुवैत
78.	किर्गिस्तान
79.	लाओ-पीडीआर
80.	लातविया
81.	लेबनान
82.	लिसोटो
83.	लीबिया
84.	लिथुआनिया
85.	लक्ज़मबर्ग
86.	मेडागास्कर
87.	मलावी
88.	मलेशिया
89.	मालदीव
90.	माली
91.	माल्टा
92.	मॉरिटानिया
93.	मॉरीशस
94.	मेक्सिको
95.	मोलदोवा
96.	मंगोलिया
97.	मोरक्को
98.	मोज़ाम्बिक
99.	म्यांमार
100.	नामीबिया
101.	नाउरू गणराज्य
102.	नेपाल

103.	नीदरलैंड
104.	न्यूज़ीलैंड
105.	नाइजर
106.	नाइजीरिया
107.	उत्तरी मैसेडोनिया
108.	नॉर्वे
109.	ओमान
110.	पाकिस्तान
111.	फिलिस्तीन
112.	पनामा
113.	पापुआ न्यू गिनी
114.	पराग्वे
115.	पेरू
116.	फिलीपींस
117.	पोलैंड
118.	पुर्तगाल
119.	कतर
120.	रोमानिया
121.	रूसी संघ
122.	रवांडा
123.	सेंट किट्स एवं नेविस
124.	सऊदी अरब
125.	सेनेगल
126.	सर्बिया
127.	सेशल्स
128.	सिंगापुर
129.	स्लोवाक गणराज्य
130.	स्लोवेनिया
131.	सोलोमन द्वीप समूह
132.	सोमालिया
133.	दक्षिण अफ्रीका
134.	दक्षिण सूडान
135.	स्पेन
136.	श्रीलंका
137.	सूडान
138.	सूरीनाम

139.	स्वीडन
140.	स्विट्ज़रलैंड
141.	सीरिया
142.	ताजिकिस्तान
143.	तंजानिया
144.	थाईलैंड
145.	तिमोर लेस्ते
146.	टोगो
147.	त्रिनिदाद और टोबैगो
148.	ट्यूनीशिया
149.	तुर्की
150.	तुर्कमेनिस्तान
151.	युगांडा
152.	यूक्रेन
153.	संयुक्त अरब अमीरात
154.	यूनाइटेड किंगडम
155.	संयुक्त राज्य अमेरिका
156.	उरुग्वे
157.	उज़्बेकिस्तान
158.	वेनेजुएला
159.	वियतनाम
160.	यमन
161.	जाम्बिया
162.	ज़िम्बाब्वे
163.	यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल

अनुबंध 2

भारत में विदेशों के अनिवासी मिशनों की देश-वार सूची

क्र.सं.	नाम
1.	बहामास
2.	माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य
3.	गिनी बिसाऊ (बीजिंग में)
4.	सैन मारिनो (रोम में)
5.	ग्रेनेडा (ग्रेनेडा में)
6.	मार्शल द्वीपसमूह (टोक्यो में)
7.	मोनाको (पेरिस में)
8.	इस्वातिनी अधिराज्य (कुआलालंपुर में)
9.	सिएरा लियोन (अबूधाबी)
10.	निकारागुआ
11.	मोंटेनेग्रो
12.	समोआ

*****